रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 641] नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 2, 2014/अग्रहायण 11, 1936
No. 641] NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 2, 2014/AGRAHAYANA 11, 1936

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 दिसंबर, 2014

सा.का.नि.861(अ).—केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 का और संशोधन करने के लिए, कतिपय नियमों का निम्नलिखित प्रारूप, जिसे केन्द्रीय सरकार, मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 64 के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बनाने का प्रस्ताव करती है, उक्त अधिनियम की धारा 212 की उप-धारा (1) की अपेक्षानुसार उन सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है, प्रकाशित किया जाता है और यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप नियमों को उस तारीख से, जिसको भारत के उस राजपत्र की प्रतियां, जिसमें यह अधिसूचना प्रकाशित की गई थी, जनता को उपलब्ध करा दी जाती हैं, दस दिन की अवधि की समाप्ति के पश्चात् विचार किया जाएगा ;

इन प्रारूप नियमों पर आक्षेप या सुझाव, यदि कोई हों, संयुक्त सचिव (परिवहन), सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, परिवहन भवन, संसद् मार्ग, नई दिल्ली-110001 को ऊपर विर्निर्दिष्ट अवधि के भीतर भेजे जा सकेंगे ;

केन्द्रीय सरकार द्वारा उक्त प्रारूप नियमों की बाबत, ऐसे किन्ही आक्षेपों और सुझावों पर, जो किसी व्यक्ति से पूर्वोक्त अवधि की समाप्ति से पूर्व प्राप्त हों, विचार किया जाएगा ।

प्रारूप नियम

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय मोटर यान (............ संशोधन) नियम, 2014 है ।

   (2) ये राजपत्र में उनके अंतिम प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 के नियम (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) 8 के पश्चात् निम्नलिखित नियम अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"8क ई-रिक्शा या ई-कार्ट चलाने के लिए अपेक्षित न्यूनतम प्रशिक्षण : नियम 8 में अंतर्विष्ट कोई बात ई-रिक्शा या ई-कार्ट चलाने के लिए अनुज्ञप्ति प्राप्त करने हेतु लागू नहीं होगी परंतु आवेदक ने कम से कम दस दिन की अवधि के लिए प्रशिक्षण प्राप्त किया हो और

यथास्थिति, रजिस्ट्रीकृत ई-रिक्शा या ई-कार्ट संगम, या ई-रिक्शा या ई-कार्ट का उत्पादन करने वाले विर्निमाता से प्रशिक्षण का प्रमाणपत्र प्राप्त किया हो"।

3. उक्त नियमों के नियम 47 में उपनियम (1) के पश्चात्, निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् : —

"परंतु ऐसे ई-रिक्शा और ई-कार्टों के मॉडलों के संबंध में, जो केन्द्रीय मोटर यान (16वां संशोधन) नियम, 2014 के प्रकाशन और का.आ. 2590 (अ), तारीख 8 अक्तूबर, 2014 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना से पूर्व विद्यमान हैं, केन्द्रीय मोटर यान (.............. संशोधन) नियम, 2014 के प्रकाशन की तारीख से हीं छह मास की अवधि के लिए, इस उपनियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन प्ररूप 20 में रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी को किस्म अनुमोदन प्रमाण पत्र अभिप्राप्त करने के पश्चात् नब्बे दिन की अवधि के भीतर किया जाएगा और उसके साथ निम्नलिखित संलग्न होंगे,-

(i) विनिर्माता या व्यौहारी या रजिस्ट्रीकृत ई-रिक्शा या ई-कार्ट संगम द्वारा जारी किया गया प्ररूप 22 में सड़क-उपयुक्तता प्रमाण पत्र ;

(ii) रजिस्ट्रीकरण के आवेदन के साथ विनिर्माता या व्यौहारी या रजिस्ट्रीकृत ई-रिक्शा या ई-कार्ट संगम द्वारा प्ररूप 21 में जारी विक्रय प्रमाण पत्र ।" ।

[फा. सं. आरटी-11036/80/2012-एमवीएल]

संजय बंदोपाध्याय, संयुक्त सचिव

टिप्पण: मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 590(अ), तारीख 2 जून, 989 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अंतिम संशोधन सा.का.नि. सं. 810(अ), तारीख 17 नवम्बर, 2014 द्वारा किया गया।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd December, 2014

G.S.R.861(E).— The following draft of certain rules further to amend the Central Motor Vehicles Rules, 1989, which the Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred by clause (a) of section 64, of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), is hereby published as required by sub-section (1) of Section 212 of the said Act for information of all persons likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft rules will be taken into consideration after the expiry of a period of ten days from the date on which the copies of this notification, as published in the Official Gazette, are made available to the public;

Objections or suggestions, if any, to these draft rules may be sent to the Joint Secretary (Transport), Ministry of Road Transport and Highways, Transport Bhawan, Parliament Street, New Delhi-110001, within the period specified above;

The objections or suggestions which may be received from any person with respect to the said draft rules within the expiry of the period aforesaid will be considered by the Central Government.

DRAFT RULES

1. (1) These rules may be called the Central Motor Vehicles (……..Amendment) Rules, 2014.

(2) These rules shall come into force on the date of their final publication in the Official Gazette.

2. In the Central Motor Vehicles Rules, 1989 (hereinafter referred as the said rules), after rule 8, the following rule shall be inserted, namely;

"8A Minimum training required for driving E-rickshaw or E-cart: Nothing contained in rule 8 shall apply to the applicant for obtaining a licence to drive E-rickshaw or E-cart provided the applicant has undergone training at least for a period of ten days and obtained a certificate of training from the registered E-rickshaw or E-cart Association, or a manufacturer producing E-rickshaw or E-cart, as the case may be"

3. In rule 47 of the said rules, after sub rule (1), the following proviso shall be inserted, namely:-

"Provided that for a period of six months, on and from the date of publication of the Central Motor Vehicles (…….Amendment) Rules, 2014, in respect of the models of the E-rickshaws and E-carts existing prior to publication of the Central Motor Vehicles (Sixteenth Amendment) Rules, 2014 and the notification published

vide S.O. 2590 (E) dated the 8th October, 2014, the application for registration under this sub-rule shall be made in Form 20 to the registering authority within a period of ninety days after obtaining the type approval certificate and shall be accompanied by._

(i) road-worthiness certificate in Form 22 to be issued by manufacturer or dealer or registered E-rickshaw or E-cart Association; and

(ii) sale certificate in Form 21 to be issued by manufacturer or dealer or registered E-rickshaw or E-cart Association for presentation along with the application for registration.".

[No.RT-11036/80/2012-MVL]

SANJAY BANDOPADHYAYA, Jt. Secy.

Note : The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3, sub-section (i) *vide* notification number G.S.R. 590(E), dated the 2nd June, 1989 and last amended *vide* notification number G.S.R. 810(E) dated 17th November, 2014.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.